संख्या-87/2024/001-2981697/12-2099/234/2023

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2024

विषय:-विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस-2010/लेखा/WINDS वित्तीय स्वीकृति/2024-25, दिनांक 27 अगस्त, 2024 एवं पत्र संख्या-2335/लेखा/विण्डस वित्तीय स्वीकृति/2024-25, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-03-विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रूपये 6000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये रू0 3249.36 लाख (रूपए बत्तीस करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

(2) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी। यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।

(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(11) विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) के अन्तर्गत योजना का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में भारत सराकर द्वारा निर्गत विण्ड्स मैनुअल, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) के अन्तर्गत योजना के संचालन के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट के पश्चात एग्रीमेन्ट में दिये गये प्राविधानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विण्ड्स के अन्तर्गत प्रदेश के विकासखण्डों एवं ग्रामपंचायतों में ए0डब्लू0एस0 एवं ए0आर0जी0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,49,36,000 (रुपये बत्तीस करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001100300 विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-173-X-2024-25, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-87/2024/001-2981697(1)/12-2099/234/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।